क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/2/23	प्र. क्र. 854 / ब दस्त अनी । पत्रावली वास्ते अवलोकन एवं आदेश दिनांक 17/2/23 को पेश हो।
	17/2/23	पत्रावली पेश हुई वादी द्वारा प्रार्थना पत्र O1 R10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आदि का अवलोकन किया। प्रा० पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी का अवलोकन किया। प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को देखे जाने एवं जमाबन्दी का अवलोकन करने से स्पष्ट है की वादी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी सुनिल पुत्र बनवारी को बेचान कर दिया। जबकि वादी द्वारा अपने वाद कारण दिनांक 08/10/2017 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण दिगर व्यक्तियों को बेचान करना चाहते है। उक्त वाद कारण वादी के विरुद्ध कारीत होना बताया है जबकि स्वयं वादी के द्वारा ही दौराने वाद वाद पत्र में वर्णित भूमि का बेचान किया है। जब वादी द्वारा [illegible] भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा [illegible] कर दिया तो [illegible] वाद कारण में कोई वाद कारण शेष नहीं रह जाता है जिस कारण उक्त प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

श्योजीराम बनाम सुवालाल

न्यायालय

केस संख्या 72/17

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र O1R10 सपठित धारा 151 सि०प्र० सं० ख़ारिज किया जाता है तथा उक्त प्रार्थनापत्र ख़ारिज किये जाने के पश्चात् उक्त वाद पत्र में अभी कोई कार्यवाही वाद कारण के अभाव में शेष नहीं रहने के कारण वाद पत्र भी इसी आधार पर ख़ारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाख़िल दफ्तर हो। हस्ताक्षर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रै./मु.) चौमूँ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner